

मध्यप्रदेश राज्य रक्ताधान परिषद्

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

सतपुड़ा भवन, भोपाल

दूरभाष क्र. 0755-2527114, ई-मेल mpsbtc@gmail.com

क्रमांक एस.बी.टी.सी. / 2016 / 1589
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08/09/2016

1. स्वास्थ्य आयुक्त,
स्थानीय कार्यालय
2. नियंत्रक,
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
ईदगाह हिल्स, भोपाल
3. डॉ. के.के. ठस्सू,
संचालक, चिकित्सा सेवायें,
स्थानीय कार्यालय
4. डॉ. यू.सी. यादव,
संयुक्त संचालक (रक्त सुरक्षा)
म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल
5. डॉ. अर्चना मिश्रा,
उपसंचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल
6. डॉ. आर. के. निगम,
प्राध्यापक पैथालाजी,
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

विषय:-राज्य रक्ताधान परिषद् की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 02.09.2015 का कार्यवाही विवरण के एजेंडा बिन्दु (5) (iii) के निर्णय में संशोधन के संबंध में।

संदर्भ:-इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एस.बी.टी.सी. / 2015 / 1257 दिनांक 07.10.2015

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में राज्य रक्ताधान परिषद् की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 2.9.2015 को आयोजित की गई थी। उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण एजेंडा बिन्दु (5)(iii) अनुसार "प्रत्येक अस्पताल जिसमें 50 या उससे अधिक बिस्तर हैं, ब्लड बैंक का संचालन कर सकेगा। ऐसे ब्लड बैंक का संचालन अस्पताल परिसर में ही व संबंधित अस्पताल प्रबंधन द्वारा स्वयं किये जाने की बाध्यता होगी। इस हेतु एस.बी.टी.सी. की एन.ओ.सी. की आवश्यकता नहीं होगी" पर सहमति व्यक्त की गयी थी।

इस एवं कॉस्मेटिक रूल्स-1945 एवं नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउन्सिल की गाईडलाइन के परिपेक्ष्य में पुनर्विचार कर उक्त निर्णय निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

एजेंडा बिन्दु (5)(iii) अनुसार "प्रत्येक अस्पताल जिसमें 50 या उससे अधिक बिस्तर हैं, ब्लड बैंक का संचालन कर सकेगा। ऐसे ब्लड बैंक का संचालन अस्पताल परिसर में ही व संबंधित अस्पताल प्रबंधन द्वारा स्वयं किये जाने की बाध्यता होगी। इस हेतु एस.बी.टी.सी. की एन.ओ.सी. की आवश्यकता अनिवार्य होगी" ।

प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) द्वारा अनुमोदित

संचालक

म.प्र. राज्य रक्ताधान परिषद्
भोपाल, दिनांक / / 2016

पृ.क्रमांक एस.बी.टी.सी. / 2016 /

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के यूनोट नं. 1938 दिनांक 08.08.2016 पर अनुमोदन अनुसार।
2. अनुज्ञापन प्राधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, ईदगाह हिल्स, भोपाल।

||
संचालक

म.प्र. राज्य रक्ताधान परिषद्